

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०:- PMAA/PCRN / LAKHANI BIGHA / Block - A, B1, B2, C=(B+G+12) / 53/2021. पटना, दिनांक- 10.01.2022
DANAPUR / Block - D, EWS/LIG - (B+G+09)

प्रेषक,

— 39

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री क्षितिज कुमार तिवारी,
निदेशक-शांति कृष्ण कन्हैया कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०,
पिता-श्री कमलेश कुमार तिवारी,
निवासी-II/9, तिवारी हाउस,
पाटलीपुत्रा कॉलोनी,
जिला-पटना।

वषय:- प्लान केस संख्या:- PMAA/PCRN / LAKHANI BIGHA / Block - A, B1, B2, C=(B+G+12) / 53/2021 की स्वीकृति
DANAPUR / Block - D, EWS/LIG - (B+G+09) के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०:-PMAA/PCRN/LAKHANI BIGHA / Block - A, B1, B2, C=(B+G+12) / 53/2021 दिनांक-14.09.2021
DANAPUR / Block - D, EWS/LIG - (B+G+09) के संदर्भ में श्री क्षितिज कुमार तिवारी, निदेशक-शांति कृष्ण कन्हैया कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०,
पिता-श्री कमलेश कुमार तिवारी, निवासी-II/9, तिवारी हाउस, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, जिला-पटना, बिहार के भवन
निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन
अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान-2031 के
आलोक में मौजा-लखनी बिगहा, सर्वे थाना-दानापुर, थाना सं०-41, सर्वे प्लॉट सं०-1134, 1135, 1136, 1142(अंश),
1143, 1144(अंश), 1147(अंश), 1154(अंश), खाता सं०-17, 32, 42, 60, 61, 72, 76, Tauzi-5225, 14851 में आवासीय
भवन,(Block - A, B1, B2, C = (B + G + 12) & Block - D, (EWS/LIG) - (B + G + 09)/53/2021) दिनांक-30.12.2021
को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 7662.95 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
5. भूखंड के सामने उत्तर में 19.0मी० से 19.22मी० चौड़ी वर्तमान सड़क अवस्थित है।

Shanti Krishna Kanhaiya Constructions & Developers Pvt. Ltd.

6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि-2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
11. बिहार भू-सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली-2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि-2014 एवं पटना मास्टर प्लान-2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि-2014 एवं पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया का प्रावधान किया जाए।
17. State Level Environment Impact Assessment Authority, Bihar (EIA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रावधानित बिन्दुओं का Compliance आवेदक को करना होगा।

विश्वासभाजन

Shanti Krishna
प्रभारी निदेशक, 10/01/2024
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।

Shanti Krishna Kanhaiya Constructions & Developers Pvt. Ltd.

Shanti Krishna
Director